न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज जिला बारां

पीठासीन अधिकारी – चन्दन दुबे R.A.S.

प्रकरण संख्या 73/17

दायरा दिनांक 6/7/17

निर्णय दिनांक 01/03/2019

बजुबान

रामहेत उम्र 40 वर्ष । पुत्रान धन्नालाल जातिगण
जगदीश उम्र 35 वर्ष । गुर्जर निवासी कदीली तहसील
किशनगंज जिला बारां (राज०)

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील किशनगंज
जिला बारां (राज०)

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88.89.188 209 RTA

निर्णय

वादी ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88.89, 188 209 RTA जरिये अभिभाषक राधेश्याम नागर इस आशय का पेश किया कि :-

(1) यह कि ग्राम कदीली पटवार हल्का जलवाड़ा तहसील किशनगंज जिला बारां मे खाता संख्या नई 8 पुरानी 89 किता खसरा नं० 112/2 रकबा 05 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी द्वतीय लगानी 1.77 रुपये स्थित है। जिसमे से 05 बीघा 17 बिस्वा भूमि को आगे वादपत्र मे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

(2) यह कि उपरोक्त आराजी का वर्ष 1960 एंव इससे पूर्व खसरा नं० 112 तथा रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज था जिसमे से 5 बीघा 15 बिस्वा आराजी नामान्तकरण संख्या 10 दिनांक 02/3/1977 से विभाजन दर्ज होकर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

Scanned with CamScanner

अमरलाल वल्द गणेशराम गुजर को [illegible]
नामा० स० 16 दिनांक 13/01/1981 से गैर खातेदार [illegible]
वर्तमान में खातेदार दर्ज हो चुका है। जिसका [illegible]
न० 1141 के रूप में रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा [illegible]
में दर्ज है। तथा शेष भूमि रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा
ख०न० 1142 के रूप में चुन्या पुत्र मांगीलाल के [illegible]
रिकॉर्ड में दर्ज है। इस चुन्या के नाम [illegible]
5 बीघा 18 बिस्वा में से 5 बीघा 17 बिस्वा आराजी [illegible]
है।

(3) यह कि उपरोक्त आराजी ख०न० 1142 रकबा [illegible]
में से विवादित आराजी रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा आराजी
में ही तत्समय खातेदार चुन्या पुत्र मांगीलाल [illegible]
पिता धन्नालाल पुत्र रामलाल गुजर नि० [illegible] को [illegible]
5001 रूपये में बेचान कर कब्जा [illegible] किया था [illegible]
वादीगण के पिता धन्नालाल उनके [illegible]
उल्लेख विक्रेता स्वयं खातेदार चुन्या द्वारा [illegible]
धन्नालाल पुत्र रामलाल गुजर के पक्ष में निष्पादित [illegible]
कराये गये दस्तावेज बैनामा दिनांक 21.6.72 से है।

(4) यह कि विवादित आराजी का दस्तावेज बैनामा [illegible]
आराजी खाता दिनांक 21.6.72 को खातेदार चुन्या [illegible]
अधिकारी किशनगंज के समक्ष [illegible] की [illegible]
पिता धन्नालाल पुत्र रामलाल गुजर के पक्ष में निष्पादित
पंजीकृत करवाकर इकरार किया था कि इस [illegible]
समस्त मालिकाना हक हकूक व अधिकार [illegible]
सात थे वादीगण के पिता के पक्ष में [illegible]
इकरार करता हूँ कि उक्त विवादित आराजी में चुन्या [illegible]
का कोई हक व अधिकार [illegible] भूमि में नहीं रहा है [illegible]
पर एक बारह सालों से अपने कब्जे [illegible] खातेदार [illegible]
खरीददार (धन्नालाल पुत्र रामलाल गुजर को कब्जा [illegible]
दे दिया है। और यह भी इकरार किया था कि [illegible]
जमीन का इन्तकाल [illegible] के [illegible]
धन्नालाल के खाते [illegible] देगा। [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

Scanned with CamScanner

(2) को कोई आपत्ति नहीं होगी
एवं उसके वारिसान को
वर्तमान खातेदार चुन्या अथवा उसके वारिसान को
में पक्षकार बनाना अनिवार्य नहीं होने से उनको पक्षकार
नहीं बनाया गया है। क्योंकि अंत विवादित आराजी में चुन्या
वाला का कोई हक व मालकाना अधिकार इस भूमि में शेष
और वह अपने खातेदारी अधिकार वादीगण के पिता धन्नालाल
के पक्ष में मुन्तकिल कर चुका है। वादीगण मृतक धन्नालाल के
एक पुत्र और जायज वारिसान है। जिनका विवादित आराजी
160/142 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा आराजी पर कब्जा अपने
पिता के जीवनकाल से निरन्तर चला आ रहा है। इसलिये
वादीगण के खातेदारी अधिकार विवादित आराजी पर परिपक्व हो
चुके है जिनकी घोषणा वादी करवाने के अधिकारी है।
यह कि मेरे पक्षकारान के पिता धन्नालाल का देहान्त हो गया है
वादीगण के पिता एवं वादीगण आपके कई बार मौखिक एवं लिखित में
निवेदन कर चुके है। लेकिन आपने एवं आपके अधिनस्थ अधिकारियों
ने विवादित भूमि न तो वादीगण के पिता के और न ही
वादीगण के खाते दर्ज की है जबकि खातेदार चुन्या विवादित
भूमि का वर्ष 1960 में ही बेचान वादीगण के पिता के पक्ष
में कर चुका है। और उसके समस्त हक व अधिकार वादीगण
के पिता के पक्ष में मुन्तकिल कर दिये है और वादीगण व अपने
पिता के जीवनकाल के बेचान 1960 से आज दिनांक तक अंत भूमि पर
काबिज काश्त है। इसलिये चुन्या अथवा उसके वारिसान का
अंत वर्णित भूमि में कोई हक अधिकार नहीं रहा है इसलिये
उक्त आराजी पर वादीगण मृतक धन्नालाल के विधिक वारिस
होने के नाते अपने खातेदारी हक हकूको की घोषणा
करवाने एवं चालू राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार अंकन
करवाने एवं प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द
करवाने के अधिकारी है।
(6) यह कि खातेदार चुन्या का नाम चालू राजस्व रिकार्ड में और वर्तमान में जमीन की खाते 516
उस में अंकन है, और

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

मीजान

जाने से पूर्ण अथवा उसके पौरसान विवादित भूमि स्थिति ग्रहिक इक आर्वेध कब्जन की आड में प्रतिवादी उपस्थित होकर पुनः विवादित आराजी के सहन/में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिये प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा पारित करना आवश्यक है।

(7) यह कि प्रतिवादी विवादित भूमि का सुप्रीम लेबल है जिसको दिनांक 14.8.17 को अवधी 2 माह का नोटिस दिया है। लेकिन प्रतिवादी ने विवादित आराजी को वादीगण को नहीं दिया है इसी कारण वादपत्र पेश करने का कारण हुआ है। चूंकि वाद कंटिन्यू एवं इफिजिएट नेचर का है अतः नोटिस की मियाद पूर्ण होने से पूर्व ही प्रस्तुत किया है। वादपत्र पेश करने की अनुमति हेतु धारा CPC का प्रार्थना पत्र वादपत्र के साथ संलग्न है।

(8) यह कि वाद कि उचित न्याय शुल्क पर कच्ची नहक किया।

(9) यह कि विवादित आराजी ग्राम बडीली में स्थित है, वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत है।

(10) यह कि अन्य अनुदान मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का खिलाफ प्रतिवादी डागा स्वीकार किया जाकर वादीगण को वाद आराजी वाके ग्राम बडीली पटवार हल्का नलवाड़ा तहसील व जिला बारां में स्थित खसरा नं॰ 112/2 रकबा 5 बीघा में से 05 बीघा 17 बिस्वा का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर चालू राजस्व रिकार्ड में बतौर दर्ज किया जावे। प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी न करें व न ही अपने प्रतिनिधियों से

...रिस्ता की गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर
... इश्तिहार की गई। प्रतिवादीगण को तलबी हेतु नोटिस तामील
... प्रतिवादीगण को नियत तिथि को बेरोजगार सरकार ने
... गये। नियत तिथि को
... का जवाब पेश किया कि
... वादपत्र की मद नं० 1 में वर्णित तथ्य स्वीकार है।
... वादपत्र की मद नं० 2 में वर्णित तथ्य स्वीकार है।
... वादपत्र की मद नं० 3 में वर्णित तथ्य स्वीकार है।
... वादपत्र की मद नं० 4 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है।
... कि वादपत्र की मद नं० 5 कानूनी है।
... कि वादपत्र की मद नं० 5 कानूनी है।
... कि वादपत्र की मद नं० 6 कानूनी है।
... कि वादपत्र की मद नं० 7 कानूनी है।
... कि वादपत्र की मद नं० 8 कानूनी है।
... कि वादपत्र की मद नं० 9 रिलीफ अनुतोष स्वीकार है।
प्रार्थना वादी स्वीकार नहीं है।

निर्णय आधारित एवं कारण मलेम

... उक्त वर्णित आराजीयात कानूनी बाध्यता के अन्तर्गत ... गई है। वादीगण के पिता छन्नालाल ने अवैधानिक रूप ... खरीदी है। अतः आराजीयात पर वर्तमान में न तो वादीगण ... रना ही कब्जा काश्त हुआ और न ही उनके वारिसान ... पर काबिज काश्त है। वर्तमान में विवादित भूमि पर अमरलाल ... अमरलाल जाति बंजारा निवासी कदीली काबिज काश्त है। ... अतः अवैधानिक रूप से खरीद फरोख्त भूमि को सिवायचक घोषित की जावे। पटवारी की मौका रिपोर्ट संलग्न है। ... साक्ष्यवादी में वादी अधिवक्ता कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते वादी अधिवक्ता की साक्ष्य वादी समाप्त की जाती है। प्रतिवादी साक्ष्य में बेरोजगार सरकार भी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते प्रतिवादी साक्ष्य समाप्त की

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वादी
ता ने वादपत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया
पक्ष सरकार ने अपने जवाब एवं मौखिक
बहस में अंकित बिन्दुओं को दोहराया। एवं निवेदन
किया कि उक्त वर्णित आराजियात कानूनी बाध्यता के अन्तर्गत
[illegible] गई है। वर्तमान में वादीगण और ना ही [illegible]
हुआ और न ही उनके वारिसान भूमि पर काबिज
है। बल्कि उक्त भूमि पर अभिराज पुत्र [illegible]
जाति [illegible] निवासी कदीली काबिज काश्त है। अतः
[illegible] रूप से खरीद फरोख्त भूमि को सिवायचक
घोषित की जावे। पत्रावली का अवलोकन मनन किया
गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन
किया गया। उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वादपत्र
खारिज योग्य है। अतः इस आशय का निर्णय
पारित किया जाता है कि वाद वादी खारिज किया
जाकर ग्राम कदीली पटवार हल्का जसवाड़ा में स्थित
आराजी खसरा संख्या नई 8 पुरानी 8 वर्तमान रक0 0.50
1.12 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा को सिवायचक घोषित
किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय
आज दिनांक 01/03/2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)